(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) बैंक में खाता खोलने के लिए स्थायी खाता संख्या (पी ए एन) या जी आई आर संख्या का उल्लेख करना कोई शर्त नहीं है जिनके पास पी ए एन संख्या/जी आई आर संख्या हैं वे उनका उल्लेख करेंगे किन्तु जिनके पास इनमें से कोई नम्बर नहीं है, वे अपनी पहचान का उल्लेख करते हुए इस आशय की घोषणा करें। किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को बैंक खाता खोलने में इससे बाधा नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्री जी ने भी कृषिहर आदि व्यक्तियों के लिए स्थायी खाता संख्या आदि लिखने की अनिवार्यता को समाप्त करने के अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस विषय पर अपेक्षित अधिसूचना यथासमय जारी कर दी जाएगी।

(ख) कर-आधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। बैंकिंग प्रणाली में आ रहे बेहिसाब/बेनामी लेनदेन को रिकार्ड में दिखलाए जाने की दृष्टि से भी ऐसा किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में तकनीकी संवर्ग की पदोन्नति

4549. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में तकनीकी संवर्ग को केवल श्रेणी "ख" तक ही पदोन्नति दी जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भर्ती के समय तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि दक्षतारोध पार करने के बार उन्हें "श्रेणी ङ" में पदोन्नति दी जाएगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस नीति का 1992 तक अनुपालन किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में इसका अब भी अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में इस नीति का अनुपालन बंद होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि नाबार्ड में तकनीकी अधिकारियों को ग्रेड "डी" (उप महाप्रबंधक) से ऊपर शीर्ष कार्यपालक पदों तक प्रोन्नित दी जाती है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, नाबार्ड में तकनीकी सेवा से ग्रेड "एफ" के मुख्य महाप्रबंधक (सी जी एम) रैंक के तीन अधिकारी तथा ग्रेड "ई" के महाप्रबंधक (जी एम) रैंक के नौ अधिकारी हैं। एक मुख्य महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं तथा दो अन्य अधिकारी प्रधान कार्यालय मुम्बई में विभागाध्यक्ष है। तकनीकी सेवा में अधिकारियों की कुल संख्या तथा तकनीकी सेवा के जी एम तथा सी जी एम की संख्या का अनुपात 1:4.95 है। इस प्रकार, नाबार्ड की तकनीकी सेवा में वरिष्ठ कार्यपालक श्रेणी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

नाबार्ड ने आगे सूचित किया है कि उसके द्वारा भर्ती के समय या अन्य किसी अवसर पर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि तकनीकी अधिकारियों को ग्रेड "ई" में प्रोन्नति दक्षतारोध पार करने के बाद दी जाएगी जो केवल नाबार्ड द्वारा वेतनमान में, विशेष रूप से कनिष्ठ अधिकारियों के वेतनमानों में वृद्धि की मंजूरी के लिए न कि प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए प्रचालित की जाती है। यह भी सूचित किया गया है कि पदोन्नतियों को दक्षतारोध पार करने पर आधारित करने की नीति नाबार्ड द्वारा कभी भी नहीं अपनाई गई है।

नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक में उनकी आर्थिक सेवा में ग्रेड "डी" से ग्रेड "ई" में प्रोन्नतियां उनके कार्यनिष्पादन रिपोर्ट, साक्षात्कार तथा दक्षतारोध से प्रभावित होती हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने भी सूचित किया है कि उनके यहां भी ग्रेड "डी" से ग्रेड "ई" में प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार के अलावा चयन का कोई अन्य माध्यम नहीं है।

Provision of stagnation increments in State Bank of Indore

4550. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a provision in Bipartite Settlement of 1989 that clerical staff on reaching the maximum in their scales will get stagnation increments after three years in State Bank of Indore;

(b) if so, whether stagnation increments have been given each year in

1991, 1992 and 1993 only to certain employees in Delhi; and

(c) if so, the reason for this discrimination and proposed action to be taken by the Government against the erring Officers who tried to break the Union and discourage the Union leaders and members of the Union?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) to (c) Detailed provisions regarding stagnation increments are given in Clause 4(B) of the bipartite settlement of 1989 signed between managements of banks and employee unions. These provisions are applicable to the all employees in banking industry including employees of State Bank of Indore. The question of discrimination with regard to application of these provisions does not arise. Government, however, does not monitor individual cases in this regard.

NPAs in Punjab and Sind Bank

4551. SHRI GAYA SINGH:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Non-Performing Assets of Nationalised Banks have increased as on 31st March, 1998 in comparison to 31st March, 1997; if so, the details of NPAs of all nationalised banks as on 31st March, 1998, bank-wise and reasons for the increase in NPAs;

(b) whether it is a fact that NPAs of Punjab & Sind Bank have gone up by 700 crores during the tenure of its previous Chairman with reference to news-item dated 3rd June, 1998 which appeared in the Hindustan Times; if so, the details thereof and action taken in the matter; and

(c) whether any other executives of Punjab & Sind Bank are involved for the increase in above NPAs; if so, the details thereof and the action taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) As reported by Reserve Bank of India (RBI), the bank-wise position of percentage of net non-performing assets of nationalised banks as on 31.3.97 and 31.3.98 are given as under:—

Nationalised Banks	% of Net NPAs as on 31.3.97	31.3.98*
Allahabad Bank	14.84	11.38
Andhra Bank	4.10	2.92
Bank of Baroda	8.94	7.53
Bank of India	6.52	7.34
Bank of Maharashtra	9.66	8.59
Canara Bank	9.32	8.25
Central Bank of India	14.40	12.21
Corporation Bank	3.63	2.93
Dena Bank	9.40	8.28
Indian Bank	25.24	23.71
Indian Overseas. Bank	7.64	6.26
Oriental Bank of Commerce	5.64	4.50
Punjab & Sind Bank	12.04	10.84
Punjab National Bank	10.38	9.57
Syndicate Bank	7.53	5.78
UCO Bank	13.73	11.14
Union Bank of India	6.98	7.66
United Bank of India	18.70	12.10
Vijaya Bank	9.56	7.40

*(Provisional)

(b) No, Sir.

(c) The two cases quoted in the news-item have been classified as NPAs as on 31.3.1998. The bank had filed a civil suit against the proprietor/guarantor besides a criminal complaint. The bank has also filed Export Credit and Guarantee Corporation claim relating to pre-shipment and post-shipment advances granted in one of the accounts Punjab & Sind Bank has reported that in view of the deficiencies in operations of these accounts, two Branch Managers have been placed under suspension.